



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072022-237034
CG-DL-E-04072022-237034

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2887]
No. 2887]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 4, 2022/आषाढ़ 13, 1944
NEW DELHI, MONDAY, JULY 4, 2022/ASHADHA 13, 1944

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2022

का.आ. 3035(अ).— केन्द्रीय सरकार, बीमा अधिनियम 1938 (1938 का 4) (जिसे इसमें इसके पश्चात् बीमा अधिनियम कहा गया है) की धारा 2गक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 27 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 870(अ) तारीख 27 मार्च, 2015 और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 27 दिसम्बर, 2019, में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4644(अ) तारीख 27 दिसम्बर, 2019 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निदेश देती है, अर्थात्:—

(क) बीमा अधिनियम के कतिपय उपबंधों का विशेष आर्थिक जोन और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में लागू न होना:— बीमा अधिनियम की धारा 29, 32ख, 32ग, 32घ, 64ग, 64घ, 64ङ, 64च, 64छ, 64ज, 64झ, 64ट, 64ठ, 64ड, 64ढ, 64ण, 64द, धारा 64पठक की उपधारा (2), धारा 101क, 101ख, 105ख, 110च, 118 और धारा 120 में अंतर्विष्ट उपबंध, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (यक) में यथापरिभाषित किसी विशेष आर्थिक जोन जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र भी है, में बीमा करोबार करने वाली कोई भारतीय बीमा कंपनी, बीमा सहकारी सोसाइटी या धारा 2ग की उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट निगमित निकाय होने के कारण बीमाकर्ता पर लागू नहीं होंगे।

(ख) बीमा अधिनियम के कतिपय उपबंधों का अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों सहित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में लागू होना:— तद्दीन विनिर्दिष्ट बीमा अधिनियम के उपबंध, भारतीय बीमा कंपनी, बीमा सहकारी सोसाइटी या बीमा अधिनियम की धारा 2ग की उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट निगमित निकाय हो और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में बीमा कारोबार करने वाली हो, निम्नलिखित अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों सहित बीमाकर्ता पर लागू होंगे, अर्थात् :—

(क) बीमा अधिनियम की धारा 2 क में “में परिभाषित” शब्दों के पहले “अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50),” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ख) बीमा अधिनियम की धारा 27, धारा 27क, धारा 27ख, धारा 27ग, धारा 27घ और धारा 27ङ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

27. आस्तियों का विनिधान .— (1) प्रत्येक बीमाकर्ता अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए, उन आस्तियों को जिनका मूल्य उनके दायित्वों से कम न हो, उद्दिष्ट करेगा, विनिधान करेगा और सभी समय पर उद्दिष्ट तथा विनिधान रखेगा।

(2) कोई बीमाकर्ता प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों की ऐसी शर्तों के अध्यधीन, संप्रवर्तक के स्वामित्वाधीन और उनके द्वारा नियंत्रणाधीन कंपनी या किसी अन्य निगमित निकाय में उपधारा (1) में निर्दिष्ट मूल्य की पांच प्रतिशत से अधिक आस्ति का विनिधान नहीं कर सकता है।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आस्तियों के संपूर्ण या किसी भाग का विनिधान निम्नलिखित के अध्यधीन होगा —

(क) यह शर्त कि उक्त आस्ति किसी प्रकार के विल्लंगम, भार, आडमान या धारणाधिकार से मुक्त होगी; और

(ख) ऐसे समय, रीति और अन्य शर्तें जैसा कि प्राधिकरण विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

स्पष्टीकरण .— इस धारा में, पद —

(i) “दायित्वों” से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में पालिसीधारकों के प्रति बीमाकर्ता का निवल दायित्व अभिप्रेत है;

(ii) “स्वामित्वाधीन” से किसी कंपनी के संबंध में संप्रवर्तकों द्वारा अपने समादत्त शेयर पूंजी के पचास प्रतिशत से अधिक धारण करना अभिप्रेत है और इसमें ऐसी कंपनी की समनुषंगी कंपनी सम्मिलित है;

(iii) “नियंत्रणाधीन” से किसी कंपनी या अन्य निगमित निकाय के संबंध में संप्रवर्तकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से या सहमति से, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हुए इसके अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करने या प्रबंधन को नियंत्रित करने या नीति विषयक विनिश्चयों जिसके अंतर्गत उनकी शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकार या शेयर धारकों के करार या मतदान देने का करार भी है, को नियंत्रित करने का अधिकार प्रयोज्य है, अभिप्रेत हैं।

(iv) “संप्रवर्तक” से एक व्यक्ति अभिप्रेत है —

(क) जिसको बीमाकर्ता की किसी प्रतिभूति का अभिदान या क्रय करने के लिए लोगों से प्रस्ताव आमंत्रित करने की विवरण पत्रिका में नामित किया गया हो, या जिसे बीमाकर्ता द्वारा दाखिल वार्षिक विवरणी में ऐसे व्यक्ति के रूप में परिलक्षित किया गया हो जिसका कार्य कंपनी का रजिस्ट्रीकरण कराना हो; या

(ख) जिसका बीमाकर्ता के कार्यों पर शेयर धारक, निदेशक या किसी अन्य रूप में प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में नियंत्रण हो; या

(ग) जिसकी सलाह, निदेश या अनुदेश के अनुसार बीमाकर्ता का निदेशक बोर्ड कार्य करता हो:

परन्तु जो व्यक्ति केवल वृत्तिक क्षमता से ही कार्य कर रहा हो पर उपखण्ड (ग) लागू नहीं होगा;

(घ) उक्त अधिनियम की धारा 64फख में उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी :—

“(1) कोई बीमाकर्ता किसी बीमा कारोबार की बाबत कोई जोखिम तब तक नहीं ग्रहण करेगा जब तक कि —

(क) देय प्रीमियम उसे प्राप्त न हो जाए; या

- (ख) देय प्रीमियम का संदाय ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसी रीति में और इतने समय के भीतर किए जाने के लिए गारण्टी न दे दी जाए, जैसा कि प्राधिकरण विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे; या
- (ग) ऐसी रकम का निक्षेप, जैसा कि प्राधिकरण विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्रीमियम के प्रति समायोजन के लिए अग्रिम तौर पर न कर दिया जाए; या
- (घ) पूर्वक्षित पालिसीधारक द्वारा किसी अन्य प्ररूप में किए गए प्रीमियम के संदाय के लिए उनके और बीमाकर्ता के बीच, ऐसी रीति में जैसा प्राधिकरण विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे, सहमति न हो।

(2) यदि बीमाकृत को पालिसी के रद्द किए जाने या उसके निबंधनों और शर्तों में परिवर्तन किए जाने के कारण या अन्यथा प्रीमियम का प्रतिदाय शोध्य हो जाए तो वह बीमाकर्ता द्वारा बीमाकृत को क्रास किए हुए या आदेशी चैक द्वारा या डाक मनीआर्डर द्वारा या किसी अन्य प्रकार से जैसा कि प्राधिकरण विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे, सीधे दे दिया जाएगा और इसलिए बीमाकृत से बीमाकर्ता समुचित रसीद अभिप्राप्त कर लेगा और ऐसा प्रतिदाय किसी भी दशा में अभिकर्ता के खाते में जमा न किया जाएगा।”;

(घ) बीमा अधिनियम की धारा 114(क) की उपधारा (2) में :—

(I) खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(i) धारा 27 की उपधारा 2 के अधीन वे शर्तें जिसके अधीन विनिधान कर सकता है और उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन बीमाकर्ता द्वारा आस्तियों के विनिधान का समय, रीति और अन्य शर्तें;”;

(II) खंड (यकक) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(यकक) धारा 64 फ ख की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन संदाय के लिए रीति और समय, खंड (ग) के अधीन निक्षेपित की जाने वाली रकम और खंड (घ) के अधीन प्रीमियम के संदाय की रीति, उपधारा (2) के अधीन बीमाकृत को प्रतिदाय के संदाय के अन्य साधन और उपधारा (6) के अधीन प्रीमियम की प्राप्ति की रीति;”।

स्पष्टीकरण.— इस अधिसूचना में “अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र” पद का वही अर्थ है जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (छ) में यथा समनुदेशित किया गया है।

[फा.स. 14017/3/2022-बीमा.-II]

सौरभ मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION
New Delhi, the 4th July, 2022

S.O. 3035(E).—In exercise of the powers conferred by section 2CA of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) (hereinafter referred to as the Insurance Act) and in supersession of the Ministry of Finance, Department of Financial Services, notification number S.O. 870 (E), dated the 27th March, 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 27th March, 2015 and notification number S.O. 4644 (E), dated the 27th December, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 27th December, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs as under, namely:—

(A) Certain provisions of Insurance Act not to apply in Special Economic Zone and International Financial Services Centre.— The provisions contained in sections 29, 32B, 32C, 32D, 64C,

64D, 64E, 64F, 64G, 64H, 64J, 64K, 64L, 64M, 64N, 64-O, 64R, sub-section (2) of section 64 ULA, sections 101A, 101B, 105B, 110F, 118 and section 120 of the Insurance Act shall not apply to an insurer, being an Indian Insurance Company, insurance co-operative society or a body corporate referred to in clause (c) of sub-section (1) of section 2C of the Insurance Act, carrying on the business of insurance, in a Special Economic Zone as defined in clause (za) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), including International Financial Services Centre.

(B) Certain provisions of Insurance Act to apply in International Financial Services Centre with exceptions, modifications and adaptations.—The provisions of the Insurance Act specified hereunder, shall apply to an insurer, being an Indian Insurance Company, insurance cooperative society or a body corporate referred to in clause (c) of sub-section (1) of section 2C of the Insurance Act and carrying on the business of insurance in an International Financial Services Centre, with the following exceptions, modifications and adaptations, namely:—

- (a) in section 2A of the Insurance Act, after the words “defined in”, the words, figures and brackets “the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019),” shall be inserted;
- (b) for sections 27, 27A, 27B, 27C, 27D and 27E of the Insurance Act, the following section shall be substituted, namely:—

‘27. Investment of assets.—(1) Every insurer, in order to meet its liabilities, shall earmark, invest and at all times keep earmarked and invested, assets of value not less than that of the liabilities.

(2) An insurer may invest not more than five per cent. of the assets referred to in sub-section (1), by value, in a company or other body corporate which is owned or controlled by the promoters, subject to such conditions as the Authority may specify by regulations.

(3) Investment of the whole or any part of the assets referred to in sub-section (1) shall be subject to—

- (a) the condition that the assets shall be held free of any encumbrance, charge, hypothecation or lien; and
- (b) such time, manner and other conditions as the Authority may specify by regulations.

Explanation. -In this section, the expression—

- (i) “liabilities” means the net liabilities of the insurer to the holders of policies in the International Financial Services Centre;
- (ii) “owned” in relation to a company means the holding of more than fifty per cent. of its paid-up share capital by the promoters, and includes a subsidiary company of such a company;
- (iii) “controlled” in relation to a company or other body corporate means the right to appoint majority of its directors or to control its management or policy decisions exercisable by the promoters acting individually or in concert, directly or indirectly, including by virtue of shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements;
- (iv) “promoter” means a person—
 - (a) who has been named as such in a prospectus inviting offers from the public for the subscription or purchase of any securities of an insurer, or is identified as such by the insurer in its annual returns filed with the person having the duty of registering companies; or

- (b) who has control over the affairs of the insurer, directly or indirectly whether as a shareholder, director or otherwise; or
- (c) in accordance with whose advice, directions or instructions the board of directors of the insurer is accustomed to act:

Provided that nothing in sub-clause (c) shall apply to a person who is acting merely in a professional capacity.’;

- (c) in section 64VB of the Insurance Act, for sub-sections (1), (2) and (3), the following sub-sections shall be substituted, namely: —

“(1) No insurer shall assume any risk in respect of any insurance business until and unless—

- (a) the premium payable is received by him; or
- (b) the premium payable is guaranteed to be paid by such person, in such manner and within such time as the Authority may specify by regulations; or
- (c) the deposit of such amount as the Authority may specify by regulations is made in advance for adjustment towards premium; or
- (d) payment of premium to be made in any other form by the prospective policyholder is agreed upon between him and the insurer, in such manner as the Authority may specify by regulations.

(2) Any refund of premium which may become due to an insured on account of cancellation of a policy or alteration in its terms and conditions or otherwise, shall be paid by the insurer directly to the insured by a crossed or order cheque or by postal money order or by such other means as may be specified by the Authority by regulations, and a proper receipt therefor shall be obtained by the insurer from the insured, and such refund shall in no case be credited to the account of the agent.”;

- (d) in section 114A of the Insurance Act, in sub-section (2),—

(I) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:—

“(i) the conditions subject to which an insurer who may invest under sub-section (2) and the time, manner and other conditions of investment of assets by an insurer under clause (b) of sub-section (3), of section 27;”;

(II) for clause (zaa), the following clause shall be substituted, namely:—

“(zaa) the manner and time for payment under clause (b), the amount to be deposited under clause (c) and the manner of payment of premium under clause (d), of sub-section (1), other means of payment of refund to the insured under sub-section (2) and the manner of receipt of premium under sub-sections (6), of section 64VB;”.

Explanation.—In this notification, the expression “International Financial Services Centre” shall have the same meaning as assigned to it in clause (g) of sub-section (1) of section 3 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019).

[F. No. 14017/3/2022-Ins.-II]

SAURABH MISHRA, Jt. Secy.